



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274929
CG-DL-E-29072026-274929

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3948]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948

No. 3948]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

का.आ. 4118(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5617(E) तारीख 05/12/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखण्ड राज्य के चतरा जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-100 (नया-522) कुल लंबाई 3.16 कि०मी० पर सिमरिया बाईपास निर्माण कार्य के लिए भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "27/12/2025" को "हिंदुस्तान" और "प्रभात खबर" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखंड राज्य के चतरा जिले में NH100 के कि.मी. 99.62 से कि.मी.103.35 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: चतरा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सिमरिया					
गांव का नाम: बान्दसांडी					
1	911	सरकारी (गैरमजरूआ खास)	परती कदीम	0.1048159	झारखंड सरकार
गांव का नाम: बनहे					
2	185	सरकारी (गैरमजरूआ खास)	परती कदीम	0.0566572	झारखंड सरकार
कुल योग				0.1614731	

[फा. सं. RW/Ranchi/LA/Simaria Bypass/NH-100/JHR/2021-22/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2026

S.O. 4118(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5617(E) Dated:05/12/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Road (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Simariya Bypass on National Highway No.-100 (New-522) at CHATRA in the state of JHARKHAND (Length 3.16 Km).

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Hindustan**” And “**Prabhat Khabar**” dated 27/12/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH100 in the stretch of land from Km. 99.62 to Km. 103.35 in the district of CHATRA in the state of JHARKHAND

State: JHARKHAND			District: CHATRA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Simaria					
Village: Bandsandi					
1	911	Government (Gairmajrua khas)	Parti Kadim	0.1048159	Government of Jharkhand
Village: Banhe					
2	185	Government (Gairmajrua khas)	Parti Kadim	0.0566572	Government of Jharkhand
Total				0.1614731	

[F. No. RW/Ranchi/LA/Simaria Bypass/NH-100/JHR/2021-22/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director